बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक : 36 दिनांक 29/12/2009

अध्यक्ष
अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123

उपाध्यक्ष
* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139

* अखलाक अहमद
(M) 9934280177
(O) 0612-2219693

महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(O) 9431818484

संयुक्त सचिव
* राजयनन्द बडियार
(M) 9431093157
(O) 9431818010

* अनिल कुमार
(M) 9431409463

कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901
(O) 9334387555

सेवा में,
गृह सचिव,
बिहार सरकार।

विषयः–**उप विकास आयुक्त, छपरा के साथ की गई अभद्रता के पश्चात छपरा नगर थाना काण्ड संख्या–294/09 के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि छपरा जिला परिषद् की अध्यक्षा श्रीमती सीमा देवी अपनी पति एवं अन्य पार्षदों के साथ दिनांक–26.12.09 उप विकास आयुक्त के प्रकोष्ठ में को पहुंची तथा उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उन्हें भद्दी–भद्दी गालियां देने लगी। उल्लेखनीय है कि श्री सुशील कुमार, उप विकास आयुक्त, सारण अनुसूचित जाति के पदाधिकारी है, उन्हें जाति सम्बोधित गालियां भी दी गयी।

उप विकास आयुक्त के द्वारा इस घटना के लिए दर्ज करायी गयी प्राथमिकी की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध करना है कि इस प्रकार क्षेत्रीय पदाधिकारी के साथ आये दिन दुर्व्यवहार एवं जानलेवा हमला के समय पुलिस अधीक्षक द्वारा शिथिलता वरती जा रही है, जबकि गृह विभाग के पत्रांक–11104 दिनांक–18.11.08 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा सभी पुलिस पदाधिकारियों को यह निदेशित किया गया था कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आवश्यक सुरक्षा मुहैय्या करायी जाय। साथ ही यह निदेश था कि **'यदि सरकारी सेवकों पर हमला होता है या लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो ऐसे वारदातों को तुरंत जाँच कराई जाय एवं दोषी व्यक्तियों पर शीघ्र कानूनी कार्रवाई की जाय'**।

आपके सूचनार्थ संघ यह बताना चाहता है कि श्रीमती सीमा देवी, अध्यक्षा, जिला परिषद्, सारण शिक्षको के पदस्थापन में सरकार की नीति के विपरीत पदस्थापन कराना चाहती थी और यही विवाद का विन्दु बना।

इस प्रकार यदि क्षेत्रीय पदाधिकारी की सुरक्षा में पुलिस अधीक्षक तत्परता नहीं वरतेगें तथा दायर प्राथमिकी पर अपराधिक चरित्र के व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं करते है तो स्पष्ट साबित होता है कि वहाँ के विकासात्मक कार्य एवं सरकार के नीतिगत निर्णय का अनुपालन नहीं होगा और इससे सरकार की प्रशासनिक छवि धुमिल होगी।

आपसे अनुरोध है कि अपनी व्यक्तिगत अभिरूची लेकर नगर थाना छपरा काण्ड संख्या–294/09 के नामित व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाय।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक ....

दिनांक ....

अध्यक्ष
अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123

उपाध्यक्ष
* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139

* अखलाक अहमद
(M) 9934280177
(O) 0612-2219693

महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(O) 9431818484

संयुक्त सचिव
* राजयनन्द बडियार
(M) 9431093157
(O) 9431818010

* अनिल कुमार
(M) 9431409463

कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901
(O) 9334387555

यहाँ यह स्पष्ट कर देना होगा की बिहार प्रशासनिक सेवा संघ छपरा इकाई आन्दोलनात्मक कार्यक्रम के तहत है। अतएव इस पर सरकार की ओर से कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि संघ और सरकार के बीच सौहाद्रपूर्ण स्थिति बना रहे।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(ए0 सी0 मिश्र)

अध्यक्ष

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

ज्ञापांक.....36..... दिनांक.....29/12/2009.....

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष/सचिव, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ छपरा इकाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

(सुशील कुमार)

महासचिव

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ